न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः– 12/114/2023 रजू दिनांकः 18.09.2023 रजि0 न0 2023/661

अपीलार्थीः–	प्रत्यर्थीः–
श्री जीनीश जाखड पुत्र सत्यवीर सिंह, निवासी मन्नी का बड़, मनुमार्ग का तिराहा, अलवर जिला अवलर (राज0)	लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन नगर विकास न्यास अलवर, जिला अलवर (राजस्थान) 301001

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांकः– 23.10.2023

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 21.07.2023 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में प्रत्यर्थी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 03.10.2023 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नही आया तथा प्रत्यर्थी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रत्यर्थी ने जरिये प्रतिलिपि पत्र कमांक यूआईटी/आर.टी.आई/2023/8582 दिनांक 03.10.2023 के माध्यम से जवाब नोटिस पेश किया जाकर अवगत कराया है कि अपीलार्थी जीनीश जाखड़ पुत्र सत्यवीर सिंह, निवासी मन्नी का बड़, मनुमार्ग का तिराहा के द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तक चाही गई सूचना तृतीय पक्षकार से संबंधित होने के कारण सूचना उपलब्ध नहीं करवायी गयी। जिसके संबंध में अपीलार्थी को कार्यालय के पत्रांक 6556 दिनांक 16.08.2023 के माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के विधिक प्रावधानों के आलोक में विनिश्चय कर सूचित किया जा चुका है। उक्त आलोक में अपील अपीलार्थी अस्वीकार किये जाने योग्य है।
5. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
6. निर्णय आज दिनांक 23.10.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
7. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज0)

(अविचल चतुर्वेदी)
जिला कलक्टर अलवर
(राज0)